MAKE IN INDIA

सत्यमेव जयते

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
www.mca.gov.in

जमा राशियों की स्वीकार्यता

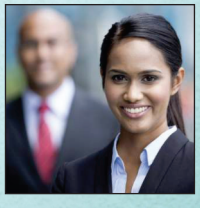

अग्रणी सहभागी संस्थान

ICSI | ICAI | The Institute of Cost Accountants of India | NFCG | Fair Competition for Greater Good | IICA

प्रस्तावना

कम्पनियां अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिये विभिन्न किफायती लागत विधियों द्वारा पूंजी प्राप्त करने का लक्ष्य बनाती हैं। कम्पनियां हमेशा जमा राशियों के माध्यम से वित्तीयन की ओर आकर्षित हुई हैं और कभी कभी ऐसी जमा राशियों के संदर्भ में समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं। अनाचारों को नियंत्रित करने के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 ने जमा व्यवस्था के अन्तर्गत सख्त प्रावधान प्रस्तुत किये हैं।

कम्पनी (जमा राशियों की स्वीकार्यता) नियम 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारायें 73 से 76 कम्पनियों द्वारा जमा राशियों के आमंत्रण, स्वीकरण और पुनर्भुतान का विनियमन करती हैं।

प्रयोजनीयता

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 और कम्पनी (जमा राशियों का स्वीकरण) नियम 2014 के अन्तर्गत प्रावधान सभी कम्पनियों पर लागू होगें सिवाय –

- एक बैकिंग कम्पनी और
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में परिभाषित एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी;
- राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक के साथ पंजीकृत एक हाउसिंग वित्त कम्पनी; और
- ऐसी अन्य कम्पनी जैसाकि केन्द्र सरकार भारतीय रिर्जव बैंक के साथ परामर्श के बाद, इस हेतु विशिष्ट निर्देश कर सकती है।

(नियम 1(3) के साथ पठित धारा 73 (1))

जमा राशि क्या है

कम्पनी (जमा राशियों का स्वीकरण) नियम 2014 के नियम 2(स) के साथ पठित धारा 2(31) के अनुसार "जमा राशि" में कम्पनी द्वारा जमा या ऋण द्वारा या किसी अन्य रूप में किसी धन की प्राप्ति सम्मिलित है लेकिन शामिल नहीं है –

(i) केन्द्र या किसी राज्य सरकार से प्राप्त राशि या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त राशि जिसके पुनर्भुगतान की गारन्टी केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा दी गई है या स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त कोई राशि या किसी वैधानिक प्राधिकरण से प्राप्त कोई राशि;

(ii) विदेशी सरकारों, विदेशी/अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, विदेशी सरकार के स्वामित्व वाले विकास वित्तीय संस्थानों, विदेशी निर्यात उधार एजेन्सियों, विदेशी सहयोगियों, विदेशी निकायों कारपोरेट और विदेशी नागरिकों, विदेश विनिमय प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत भारत से बाहर रहने वाले विदेशी अधिकारियों या व्यक्तियों से प्राप्त कोई राशि;

(iii) किसी बैंकिंग कम्पनी या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी सहायक बैंक या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी बैंकिंग संस्थान से कोई ऋण या सुविधा के रूप में प्राप्त कोई राशि;

(iv) सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों, बीमा कम्पनियों या सूचीबद्ध बैंकों से ऋण या वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त कोई राशि;

(v) वाणिज्य कागज के निर्गम या भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों या अधिसूचना के अनुरूप जारी किसी अन्य प्रपत्र के बदले प्राप्त कोई राशि;

(vi) एक कम्पनी द्वारा किसी अन्य कम्पनी से प्राप्त राशि;

(vii) शेयर आवेदन धन या प्रतिभूतियां अनिर्णीत आवंटन के आवंटन हेतु अग्रिम, यदि ऐसी राशि केवल आवेदन की गई प्रतिभूतियों के आवंटन पर देय राशि के बदले गृहीत है, सहित किसी प्रतिभूति के अभिदान हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाये गये एक प्रस्ताव के अनुसार प्राप्त और धारण की गई कोई राशि;

(viii) कम्पनी के निदेशक, जो धन देने के समय लिखित में एक घोषणा प्रदान करता है कि उसके द्वारा अन्य लोगों से उधार मांगकर या ऋणों या जमा राशियों को स्वीकार करके प्राप्त की गई पूंजीयों में से राशि नहीं दी जा रही है, से प्राप्त कोई राशि;

(ix) बांड या ऋण पत्रों किसी प्रथम प्रभार या कम्पनी की अमूर्त परिसम्पत्तियों या 5 वर्ष के अन्दर कम्पनी के शेयरों में अनिवार्यतः परिवर्तित होने योग्य बांड/ऋणपत्रों को छोड़कर किसी परिसम्पत्ति पर प्रथम प्रभार श्रेणी के समरूप किसी प्रभार द्वारा प्राप्त किये गये ऋणपत्रों के निर्गम द्वारा प्राप्त की

गई राशि। यदि ऐसे बांड या ऋणपत्र अधिनियम की सूची।।। में निर्दिश्ट किसी परिसम्पत्ति के प्रभार द्वारा प्राप्त किये जाते हैं तो ऐसे बांडों या ऋणपत्रों की राशि ऐसी परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी, जैसाकि पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा आंका जाता है;

(x) किसी कर्मी से ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा जो उसके वार्शिक वेतन से अधिक न हो।

(xi) न्यास में धारित या उससे प्राप्त ब्याज मुक्त राशि;

(xii) कम्पनी के व्यापार के दौरान या उद्देश्यों के लिए प्राप्त कोई राशि :

अ. वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं के प्रावधानों के लिए किसी अग्रिम के रूप में बशर्ते ऐसा अग्रिम वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं के प्रावधान के लिए ऐसे अग्रिम के स्वीकार्य से 365 दिनों की एक अवधि के अन्दर गृहीत हो।

किसी अग्रिम के विधि के किसी न्यायालय के समक्ष किसी कानूनी प्रकिया की विषय वस्तु होने के मामले में 365 दिनों की कथित समय सीमा लागू नहीं होगी।

ब. अग्रिम के रूप में, किसी भी ढ़ंग से आया हो, एक समझौते या व्यवस्था के अन्तर्गत एक अचल सम्पत्ति के लिए विचारण के संबंध में प्राप्त हो बशर्ते कि ऐसा अग्रिम समझौते या व्यवस्था की शर्तों के अनुरूप ऐसी सम्पत्ति के बदले में समायोजित हो।

स. वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं के प्रावधान के लिए अनुबंध के कार्यनिष्पादन के लिए प्रतिभूति जमा के रूप में

द. दीर्घ कालिक परियोजनाओं के अन्तर्गत या ऊपर सामग्री (ब) के अन्तर्गत समाविष्ट के अतिरिक्त पूंजी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए प्राप्त अग्रिम

यदि ऊपर (अ) (ब) और (द) के अन्तर्गत राशि प्राप्त हुई है तो वापसी (ब्याज या बिना ब्याज के होगी) क्योंकि धन स्वीकार करने वाली कम्पनी के पास वस्तुओं या सम्पत्तियों या सेवाओं, जिनके लिए धन लिया जाता है, में व्यापार करने की आवश्यक अनुमति या स्वीकृति नहीं होती है अतः प्राप्त की गई राशि इन नियमों के अन्तर्गत एक जमा राशि समझी जायेगी।

(xiii) किसी उधारदाता वित्तीय संस्थान या बैंक के अनुबंध के पालन में असुरक्षित ऋण के तरीके से कम्पनी के संस्थापक द्वारा लाई गयी कोई राशि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने का विषय है :

अ. ऋण उधारदाता संस्थानों के द्वारा ऐसी पूंजी के योगदान के लिए संस्थापक पर लगाये गये अनुबंध के अनुपालन में लाया जाता है;

ब. ऋण संस्थापकों द्वारा स्वयं या उनके संबंधियों या दोनों के द्वारा प्रदान किया जाता है; और

स. इस उपबंध के अन्तर्गत छूट केवल तब तक उपलब्ध होगी जब तक कि वित्तीय संस्थान या बैंक के ऋण का पुनर्भुगतान नहीं हो जाता और उसके बाद नहीं।

(xiv) एक निधि कम्पनी द्वारा स्वीकार की गयी कोई राशि इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए कोई राशि–

(अ) कम्पनी द्वारा प्राप्त की गई, किस्तों या अन्य रूप में, नगद या वस्तु रूप में रिर्टन देने के एक वादे या प्रस्ताव के साथ किसी व्यक्ति से, वादे या प्रस्ताव में निर्दिष्ट अवधि की पूर्णता पर या पहले, किसी भी ढ़ंग से जमा की गई।

(ब) ऊपर मद (अ) के अन्तर्गत राशि के अतिरिक्त कम्पनी द्वारा ऐसे वादे या प्रस्ताव के भाग के रूप में किये गये किसी अतिरिक्त योगदान को एक जमा राशि के रूप में माना जायेगा।

आइये अब जमा राशियों को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण देखें :

(अ) **सरकारी एजेन्सी, वित्तीय संस्थानों, बैंकों या वाणिज्य पत्र क माध्यम से रू. 5 करोड़** : सरकारी एजेन्सी, वित्तीय संस्थानों, बैंकों या वाणिज्य पत्रों के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली कथित राशि जमा राशियों में समाष्टि नहीं होती है।

(ब) **भोयर आवेदन धन के रूप में रू. 50 लाख** : कम्पनी को अंश आवेदन धन की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर अंश अवश्य आबंटित करने चाहिए या इसे अंश आवेदन धन अभिदाताओं को 60 दिन पूरे होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अवश्य वापस करना चाहिए अन्यथा ऐसी राशि को जमा राशि के रूप में माना जायेगा।

(स) **ऋण के रूप में इसके एक निदेशक से रू. 50 लाख** : कम्पनी अपने निदेशक से ऋण प्राप्त कर सकती है यदि निदेशक कम्पनी को एक वचन देता है कि ऋण अपनी निधियों दिया गया है और उधार मांगे गये धन से नहीं दिया गया है।

(द) **बांडों और ऋणपत्रों के निर्गम से रू. 50 लाख** : कम्पनी बांड और ऋणपत्रों के रूप में धन एकत्र कर सकती है बशर्ते वह राशि सम्पत्ति के बदले एक प्रथम प्रभार से प्राप्ति की जाती है; या ऐसे बांड या ऋणपत्र 5 वर्षों के अन्दर अंशों में अनिवार्यतः परिवर्तन योग्य होने चाहिए; अन्यथा यह जमा राशियों की परिभाषा के अन्तर्गत आयेगा।

(य) **अन्तर कारपोरेट जमा के माध्यमों से रू. 50 लाख** : अन्तर कारपोरेट जमा राशियां जमा राशियों की परिभाषा में समाविष्ट नहीं होती हैं।

(र) **इसके कर्मचारियों से रू. 25 लाख** : यदि कर्मचारियों से प्राप्त राशि उनके वार्षिक वेतन से अधिक नहीं होती है तो यह राशि जमा राशि की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आयेगी।

(ल) **ग्राहकों से व्यापार अग्रिम के रूप में रू. 50 लाख** : ग्राहकों से अग्रिम राशि एकत्र की जा सकती है हलांकि ऐसी अग्रिम राशि प्राप्ति की तिथि से 365 दिनों के अन्दर समायोजित होनी चाहिए। अन्यथा इसे जमा राशि के रूप में परिभाषित किया जायेगा।

(व) **अपनी सम्पत्ति की बिक्री के बदले अग्रिम के रूप में रू. 50 लाख** : ऐसी राशि को केवल सम्पत्ति के बदले समायोजित करना चाहिए; अन्यथा इसे जमा राशि के रूप में परिभाषित किया जायेगा।

(श) **प्रतिभूति जमा के रूप में रू. 25 लाख** : प्रतिभूति जमा जमा राशियों की परिभाषा की परिधि से बाहर हैं। प्रतिभूति जमा राशियों को विशिष्ट समझौते के तहत स्वीकार करने का सुझाव दिया जाता है।

(ह) **कम्पनी के संस्थापक या उसके संबंधियों से रू. 50 लाख** : किसी उधारदाता वित्तीय संस्थान या बैंक के अनुबंध के पालन में असुरक्षित ऋण के रूप में कम्पनी के संस्थापक द्वारा लाई गयी कोई राशि जमा राशि नहीं है।

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने का विषय है यथा :

- ऋण उधारदाता संस्थानों के द्वारा ऐसी पूंजी के योगदान के लिए संस्थापक पर लगाये गये अनुबंध के अनुपालन में लाया जाता है;
- ऋण संस्थापकों द्वारा स्वयं या उनके संबंधियों या दोनों के द्वारा प्रदान किया जाता है; और
- इस उपबंध के अन्तर्गत छूट केवल तब तक उपलब्ध होगी जब तक कि वित्तीय संस्थान या बैंक के ऋण का पुनर्भुगतान नहीं हो जाता और उसके बाद नहीं;

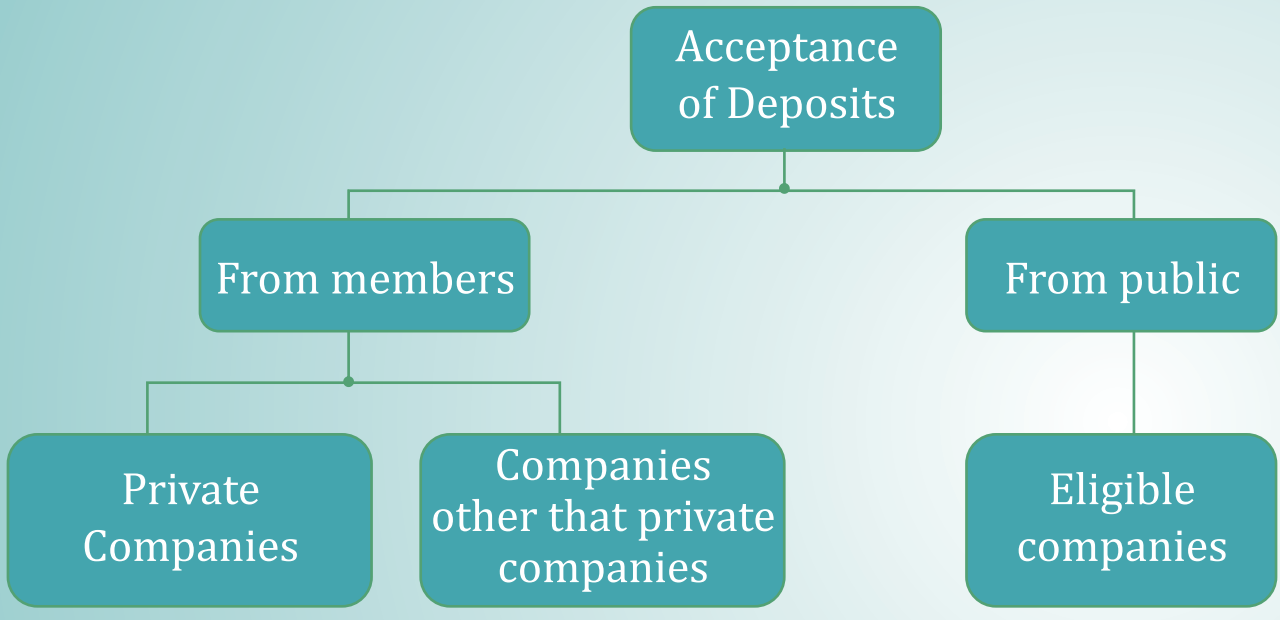

सदस्यों से जमा राशि की स्वीकार्यता

धारा 73(2) वर्णित करती है कि एक कम्पनी ऐसी नियम व शर्तों पर प्रतिभूति के प्रावधान सहित, यदि कोई है, या ब्याज सहित ऐसी जमा राशियों के शोधन के लिए, जैसी कम्पनी और इसके सदस्यों के मध्य सहमति हो, अपने सदस्यों से जमा राशियां स्वीकार कर सकती है।

निजी कम्पनियों के लिए छूट

एमसीए देखें अधिसूचना सं. जी.एस.आर 464 दिनांक 5 जून 2015 ने निजी कम्पनियों को अपने सदस्यों से जमा राशियां स्वीकार करने की अनुमति दी है राशि प्रदत्त अंश पूंजी और विबंध आरक्षित निधियों के समग्र के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं हो और ऐसी कम्पनी इस प्रकार स्वीकार धन के विवरण को, इस भांति रजिस्ट्रार के पास दर्ज करायेगी, जैसाकि धारा 73(2) (अ) से (ई) का पालन किये बिना निर्दिष्ट हो। अतः किसी निजी कम्पनी को केवल धारा 73(2) (फ) में वर्णित शर्त का पालन करना होगा।

जनता से जमा राशि कौन स्वीकार कर सकता है

- पात्र कम्पनियां अपने सदस्यों के अतिरिक्त लोगों से जमा राशियां स्वीकार कर सकती हैं।
- धारा 73(2) में दी गई सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का विषय हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श में निर्धारित ऐसे नियमों का विषय हैं; और

ऐसी एक कम्पनी को जनता को सूचित करने के लिए एक मान्यता प्राप्त ऋणपात्रता निर्धारण एजेन्सी से रेटिंग (इसकी शुद्ध सम्पत्ति, नकदी और देय तिथि को अपनी जमा राशियों को अदा करने की क्षमता सहित) प्राप्त करना आवश्यक होगा। जनता से जमा राशियों के आमंत्रण के समय कम्पनी को दी गयी रेटिंग पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करती है और रेटिंग जमा राशियों के कार्यकाल के दौरान हर वर्ष प्राप्त की जायेगी। (धारा 76 (1) का प्रथम उपबन्ध।

जनता से सुरक्षित जमा राशि स्वीकार करने वाली हर कम्पनी ऐसी स्वीकृति के 30 दिनों के अन्दर अपनी परिसम्पत्तियों, पर एक राशि का एक प्रभार सृजित करेगी जो कि ऐसे नियमों के अनुसार जैसेकि निर्धारित हो सकते हैं जमा धारकों के पक्ष में स्वीकार की गयी जमा राशियों की राशि से कम नहीं होगा। (धारा 76 (1) का दूसरा उपबन्ध।

धारा 76 (2) वर्णित करती है कि जमा राशियों की स्वीकृति के लिए सभी प्रावधान, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस धारा के तहत जनता से जमा राशियों की स्वीकृति के लिए लागू होगें।

पात्र कम्पनी कौन है

कम्पनी (जमा राशियों की स्वीकृति) नियम 2014 के नियम 2(1) के अनुसार "पात्र कम्पनी" का अर्थ एक सार्वजनिक कम्पनी है जिसकी निवल सम्पत्ति 100 करोड़ रूपये या बिक्री 500 करोड़ रूपये से कम नहीं हो और जिसने आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से कम्पनी से पूर्व सहमति प्राप्त कर ली हो तथा जमा राशियों के स्वीकरण के लिए जनता को आमंत्रित करने से पूर्व कथित प्रस्ताव को कम्पनियों के रजिस्ट्रार और जहां लागू हो, भारतीय रिजर्व बैंक के पास दाखिल भी कर दिया हो।

जमा राशियों के स्वीकरण के लिए नियम व शर्तें (नियम 3)

1. **समय अवधि** : धारा 73(2) के तहत कोई कम्पनी और पात्र कम्पनी की सुरक्षित या असुरक्षित किसी जमा राशि, जो मांग या एक नोटिस प्राप्त होने पर शोधन योग्य हो, ऐसी जमा राशि के स्वीकरण या नवीकरण की तिथि से 6 माह से कम की अवधि या 36 माह से अधिक के अन्दर, को स्वीकार या नवीकृत नहीं करेगी।

2. **संयुक्त नाम** : जमा राशियों को संयुक्त नामों, तीन से अधिक नहीं, में स्वीकार किया जा सकता है, किसी भी उपवाक्य के साथ या बिना यथा "संयुक्त रूप से"', "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी", "प्रथम नाम या उत्तरजीवी", "कोई भी या उत्तरजीवी", यदि जमाकर्ता ऐसा चाहता है। (नियम 3 (2))

3. जमा राशियों के स्वीकरण की सीमा

(i) धारा 73(2) में निर्दिष्ट कोई कम्पनी (निजी कम्पनी को छोड़कर) अपने सदस्यों से कोई जमा राशि स्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगी, यदि ऐसी जमा राशियों की राशि ऐसी जमा राशियों के स्वीकरण या नवीकरण की तिथि तक बकाया अन्य जमा राशियों की राशि के साथ प्रदत्त शेयर पूंजी और कम्पनी की विर्बंध आरक्षित निधियों के समग्र के 25 प्रतिशत से अधिक होती है। (नियम 3(3))

(ii) कोई पात्र कम्पनी स्वीकार या नवीकृत नहीं करेगी

a) अपने सदस्यों से जमा कोई राशि, यदि ऐसी जमा राशियों की राशि स्वीकरण या नवीकरण की तिथि तक बकाया अन्य जमा राशियों की राशि के साथ प्रदत्त अंश पूंजी और कम्पनी की विर्बंध आरक्षित निधियों के समग्र के 10 प्रतिशत से अधिक होती है;

b) कोई अन्य जमा राशि, यदि ऐसी जमा राशियों की राशि स्वीकरण या नवीकरण की तिथि तक बकाया अन्य जमा राशियों, (अ) में निर्दिष्ट जमा राशि के अलावा, की राशि के साथ प्रदत्त अंश पूंजी और कम्पनी की विर्बंध आरक्षित निधियों के समग्र के 25 प्रतिशत से अधिक होती है। (नियम 3(4))

(iii) धारा 76 के अन्तर्गत जमा राशियों को स्वीकार न करने की पात्र कोई सरकारी कम्पनी किसी जमा राशि को स्वीकृत या नवीकृत करेगी, यदि ऐसी जमा राशियों की राशि स्वीकरण या नवीकरण की तिथि तक बकाया अन्य जमा राशियों (अ), की राशि के साथ प्रदत्त शेयर पूंजी और कम्पनी की विर्बंध आरक्षित निधियों के समग्र के 35 प्रतिशत से अधिक होती है। (नियम 3(5))

4. **ब्याज की दर व दलाली** : धारा 73(2) के तहत कोई कम्पनी या कोई पात्र कम्पनी किसी भी रूप में किसी जमा राशि, उस पर गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा जमा राशियों के स्वीकरण के लिए भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम ब्याज दर या दलाली से अधिक दर पर ब्याज दर लगाने या दलाली भुगतान करने, को आमंत्रित या स्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगी। (नियम 3(6))

5. **नियम व शर्तों में बदलाव** : कम्पनी के पास स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जमाकर्ता के पक्षपात या हानि के लिए परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र के जारी होने तथा जमा राशियां स्वीकृत होने के बाद, जमा राशि, जमा न्यास विलेख और जमा बीमा अनुबंध के किसी नियम व शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार आरक्षित नहीं होगा। (नियम 3(7))

6. **ऋणपात्रता निर्धारण** : प्रत्येक पात्र कम्पनी, एक साल में कम से कम एक बार, इसके द्वारा स्वीकार की गयी जमा राशियों के लिए नीचे निर्दिष्ट तरीके से ऋणपात्रता रेटिंग प्राप्त करेगी और फार्म डीपीटी–3 में जमा राशियों की वापसी के साथ रेटिंग की एक प्रति कम्पनियों के रजिस्ट्रार के भेजेगी। (नियम 3(8))

प्रतिभूति का सृजन (नियम 6)

1. सुरक्षित जमा राशियों को आमंत्रित करने वाली निजी कम्पनी और प्रत्येक पात्र कम्पनी धारा 73 (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक कम्पनी की अमूर्त परिसम्पत्तियों को छोड़कर जैसाकि अधिनियम की अनुसूची ।।। में निर्दिष्ट है अपनी परिसम्पत्तियों पर एक प्रभार के रूप में सुरक्षा प्रदान करेगी। उस जमा देय राशि और उसके ब्याज की अदायगी के लिए यह राशि जमा बीमा के द्वारा असुरक्षित रहने वाली राशि से कम नहीं होगी।

2. कम्पनी की अमूर्त परिसम्पत्तियों को छोड़कर जैसाकि अधिनियम की अनुसूची ।।। में निर्दिष्ट है अपनी परिसम्पत्तियों पर एक प्रभार के रूप में प्राप्त की गयी भुगतानयोग्य जमा राशियों की राशि और ब्याज एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा आंके गये ऐसी परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी।

3. प्रतिभूति का कुल मान जमा बीमा के रूप में या प्रभार के रूप में या दोनों के रूप में स्वीकृत जमा राशियों की राशि और उस पर देय ब्याज से कम नहीं होगा।

4. स्टाक शेयरों, ऋणपत्रो, प्रतिभूति आदि का मूल्यांकन सेबी में पंजीकृत किसी स्वतंत्र व्यापारी बैंकर या कम से कम 10 वर्षों के व्यवहार अनुभव वाले में किसी स्वतंत्र सनदी लेखाकार द्वारा संचालित किया जायेगा।

5. जमा राशियों के लिए प्रतिभूति (एक वचन की प्रकृति में नहीं) जमाकर्ताओं के लिए किसी न्यासी के पक्ष में निम्न पर सृजित की जायेगी :

अ. कम्पनी की विशिष्ट चल सम्पत्ति पर; या

ब. कम्पनी की जहां कहीं पर स्थित विशिष्ट अचल सम्पत्ति पर या उसमें किसी ब्याज पर। नियम 6(2)

जमाकर्ताओं के लिए न्यासी

- **जमा न्यास विलेख** : कम्पनी परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र जारी करने के कम से कम 7 दिन पहले फार्म सं. डीपीटी–2 में एक जमा न्यास विलेख निष्पादित करेगी। नियम 7(2)

- **जमा न्यासियों के कर्तव्य** : प्रत्येक जमा न्यासी का यह कर्तव्य होगा कि वह –

अ. सुनिश्चित करेगा कि जमा बीमा की राशि के साथ कम्पनी की परिसम्पत्तियों जिस पर प्रभार सृजित किया गया है प्रतिभूति जमा राशियों के बकाया के मूलधन तथा उस पर प्राप्त किये गये ब्याज के वापसी अदायगी को समाविष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं।

ब. स्वयं को संतुष्ट करेगा कि जमा राशियों को आमंत्रित करने वाले परिपत्र या विज्ञापन में कोई ऐसी सूचना न हो जो जमा योजना की शर्तों या न्यास विलेख के साथ असंगत हो और अधिनियम के नियमों व प्रावधानों के अनुरूप हो;

स. सुनिश्चित करेगा कि कम्पनी किसी संविद और न्यास विलेख के प्रावधान के भंग के लिए वचनबद्ध नहीं होती है;

द. ऐसे तर्कसंगत कदम उठायेगा जैसाकि न्यास विलेख के किसी संविद या जमा राशियों के आमंत्रण की शर्तों के भंग के लिए कोई उपाय प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता हैं;

य. जमा धारकों की बैठक बुलाने के लिए कदम उठायेगा, जब और जैसे ऐसी बैठक को आयोजित करने की आवश्यकता होगी;

र. जमा राशियों और जमा बीमा की शर्तों के लिए प्रतिभूति के सृजन के संबंध में शर्तों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करेगा;

ल. ऐसे कार्य करेगा जो प्रतिभूति को साध्य बनाने के लिए आवश्यक हों;

व. ऐसे कार्य करेगा जो जमाकर्ताओं के हित की रक्षा और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक हों। (नियम 8)

जमाकर्ताओं द्वारा जमा राशियों के लिए आवेदन

- प्रत्येक कम्पनी कोई जमा राशि, स्वीकार या नवीकृत सुरक्षित या असुरक्षित केवल तभी करेगी, यदि आवेदक जमाकर्ता द्वारा ऐसे जमा को स्वीकार करने के लिए एक घोषणा, कि जमा उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से धन उधार लेकर नहीं किया जा रहा है, आशय सहित कोई आवेदन जमा किया जाता है। (नियम 10)

- एक जमाकर्ता, किसी भी समय, किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है, जिसकी जमा राशियां उसकी मृत्यु की घटना में निहित होगी और धारा 72 के प्रावधान यथासंभव इस नियम के तहत किये गये नामांकन पर लागू होगें। (नियम 11)

जमा राशियों की वापसी अदायगी

- किसी कम्पनी द्वारा स्वीकृत प्रत्येक जमा का समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के साथ वापसी अदायगी की जायेगी। (धारा 73(3))

- जब एक कम्पनी जमा राशियों का या उसके भाग का या उपधारा (3) के तहत उस पर किसी ब्याज को चुकाने में असफल हो जाती है तब संबंधित जमाकर्ता कम्पनी को देय राशि या ऐसे गैर–भुगतान के परिणामस्वरूप उसके द्वारा उठायी की गयी किसी हानि या क्षति का भुगतान करने के निर्देश वाले एक आदेश और ऐसे अन्य आदेशों, जैसे न्यायाधिकरण/सीएलबी जो उपयुक्त समझे, के लिए न्यायाधिकरण/सीएलबी में आवेदन कर सकता है।

जमा वापसी अदायगी आरक्षित खाता

- सदस्यों से जमा स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करने वाली धारा 73(2) में निर्दिष्ट प्रत्येक कम्पनी (निजी कम्पनी के अलावा) या किसी पात्र कम्पनी को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल से पूर्व एक वित्तीय वर्ष और उसके अगले वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ण होने वाले इसके जमा के कम से कम 15 प्रतिशत की राशि किसी सूचीबद्ध बैंक में एक अलग खाते में जमा करनी होगी, जिसे जमा वापसी अदायगी आरक्षित खाता कहा जायेगा। (धारा 73 (2)(स) और नियम 13)
- यह जमा वापसी अदायगी आरक्षित खाता कम्पनी द्वारा जमा राशियों के वापसी अदायगी के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जायेगा। (धारा 73 (5))
- जमा रहने वाली राशि किसी भी समय परिपक्व जमा राशियों के 15 प्रतिशत से कम नहीं होगी जब तक कि वर्तमान वित्तीय वर्ष और अगला वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है। (नियम 13)

जमा राशियों के रजिस्टर (नियम 14)

1. जमा राशि स्वीकार करने वाली प्रत्येक कम्पनी ऐसी स्वीकरण की तिथि से अपना एक पंजीकृत कार्यालय स्वीकृत/नवीकृत जमा राशियों के लिए एक या अधिक अलग रजिस्टर रखेगी जिसमें प्रत्येक जमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित विवरण अलग से प्रविष्ट किये जायेगें, यथाः

(अ) जमाकर्ता/ओं का नाम, पता और पैन;

(ब) संरक्षक का विवरण, अवयस्क होने की स्थिति में;

(स) नामित के विवरण;

(द) जमा रसीद सं.;

(ध) प्रत्येक जमा की तिथि व राशि;

(थ) जमा की अवधि और प्रत्येक जमा की वापसी अदायगी की तिथि;

(य) ब्याज दर;

(र) ब्याज भुगतान की देय तिथि;

(ल) ब्याज भुगतान और स्रोत पर कर की गैर कटौती, यदि कोई है, के लिए अधिदेश व निर्देश;

(ष) तिथि या तिथियां जब ब्याज का भुगतान किया जायेगा;

(क्ष) जमा बीमा के विस्तार सहित जमा बीमा का विवरण;

(ष) अन्य प्रतिभूति/सृजित प्रभार के विवरण;

(श) जमा राशि से संबंधित कोई अन्य विवरण।

2. जमा रसीद के निर्गमन की तिथि से 7 दिनों के अन्दर रजिस्टर में प्रविष्टियां दर्ज की जायेंगीं और ऐसी प्रविष्टियां कम्पनी के एक निदेशक या सचिव या इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जायेगीं।

3. रजिस्टरों को उस वित्तीय वर्ष से कम से कम 8 साल की अवधि के लिए उत्तम प्रकार से संरक्षित किया जायेगा, जिस वर्ष रजिस्टर में नवीनतम प्रविष्ट दर्ज की जाती है।

रजिस्ट्रार के पास दाखिल कराये जाने वाली जमा राशियों पर रिटर्न (नियम 16)

प्रत्येक कम्पनी जिस पर ये नियम लागू होते हैं प्रत्येक वर्ष 30 जून तक या उससे पूर्व रजिस्ट्रार के पास कम्पनी (पंजीकरण कार्यालय व शुल्क नियम) 2014 में प्रदान किये गये प्रावधान के अनुसार शुल्क के साथ फार्म डीपीटी–3 में रिटर्न दाखिल करेगी और कम्पनी के लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत् लेखा परीक्षित उस वर्ष 31 मार्च तक उसमें सम्मिलित सूचनाओं को प्रस्तुत करेगी।

दण्डरूप ब्याज दर (नियम 17)

प्रत्येक कम्पनी परिपक्व और दावाकृत लेकिन अदत्त रहने वाली जमा राशियों, संरक्षित/असंरक्षित, के मामले में अतिदेय अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दण्डरूप ब्याज दर का भुगतान करेगी।

भरे जाने वाले फार्म

1. डीपीटी1– जमा आमंत्रित करने वाला परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र
2. डीपीटी2– जमा न्यास विलेख
3. डीपीटी3– जमा राशियों का रिटर्न
4. डीपीटी4– अधिनियम के प्रारम्भ पर मौजूद जमा के संबंध में ब्यौरा

अग्रणी सहभागी संस्थान

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

ICAI NFCG Fair Competition for Greater Good IICA

अधिक जानकारी के लिए, लॉग ऑन करे www.mca.gov.in